# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 367/2022 (2022/555)

अनवान

1. बगदी पुत्री कजोड पत्नी शिव तेली नि.चित्तौडगढ हा.मु.घटियावली तह. व जिला चित्तौडगढ
2. नाथी पुत्री कजोड पत्नी कैलाश तेली नि.सावा हा.मु. घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. कला पुत्री कजोड पत्नी राजु तेली नि.सावा हा.मु.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. काली पुत्री कजोड पत्नी भंवर तेली नि.पुठोली हा.मु.घटियावली तह. व जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गोवर्धन पिता घासी तेली नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ

—विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री दिनेश मौड अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र कुमार राजौरा अधिवक्ता विपक्षी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय दिनांक 13/04/26

प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध विपक्षी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगणो के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम घटियावली पटवार हल्का घटियावली तहसील व जिला चित्तौडगढ में स्थित है जिसके आराजी नं 84 रकबा 0.58 हे. भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के आराजी नं 84 है तथा विपक्षी के आराजी नं 85 है तथा दोनो की आराजीयात की एक मेड पाली है तथा आराजी नं 85 के पास ही मुख्य सडक

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है जिसके आराजी नं 70 है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे जाने हेतु आराजी नं 85 मे बने रास्ते मे ही आते जाते रह है। वर्षो से प्रार्थीगण पिता के समय से आराजी नं 85 मे होकर अपनी खातेदारी आराजीयात आराजी नं 84 मे पहुंच रहे है तथा आराजी नं 84 के पास ही मुख्य सडक बनी हुई है जो आस पास के गांव मे जाने वाली मुख्य सडक है जो आराजी नं 85 के लगी हुई है तथा मुख्य सडक से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे वर्षो से बने कदीमी रास्ते आराजी नं 85 मे से होकर आते जाते है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने मवेशी व अन्य घास आदी आराजी नं 85 मे होकर लाते ले जाते है। आराजी नं 85 विपक्षी के खातेदारी भूमि मे दर्ज होने से विपक्षी मे मन मे बदयांति आ गई और विपक्षी व उसके बेटे बहु प्रार्थीगणों से अकारण ही रंजिश रखने लग गये है और अपनी खातेदारी जमीन होने के कारण विपक्षी व उसके परिवार के सदस्य अकारण ही परेशान कर रास्ता रोकने लग गये है। आये दिन विवाद करने लग गये है। इसलिए कानून प्रार्थीगण आराजी नं 84 मे पहुचने के लिए रिकोर्डेड रास्ता आराजी नं 85 मे से कायम कराना चाहते है। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित रास्ते की कीमत तय कर विपक्षी को दिलाई जाकर रेकॉर्ड में आराजी नं 85 ग्राम घटियावली मे 20 फिट चौडा रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करने हेतू निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजौरा ने वकालतनामा पेश कर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण उनके हिस्से की आराजी नं 84 मे आने जाने हेतू विपक्षी की आराजी नं 85 मे होकर नही आते जाते है । सडक आराजी नं 84 के पास नही है । प्रार्थीगण की आराजी पर पहुचने हेतू अलग से रास्ता मौजूद है।

प्रार्थीगण एंव विपक्षी एक परिवार के सदस्य होकर आपस मे भाई पांति बंटवाडा हुआ तब 0.02 हे. याने 02 बिस्वा भुमि प्रार्थीगण को रास्ता निकालने हेतू ज्यादा रखी जिस कारण प्रार्थीगण के खाते मे 0.02 हे. भुमि अधिक रखी जिस कारण प्रार्थीगण उनके खातेदारी की आराजी नं 84 की पूर्वी मेड पर होकर अन्दर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के मन मे दुर्भावना पैदा हो जाने से मुझ विपक्षी की आराजी नं 85 मे रास्ता होना बताकर जबरन निकलना चाह कर लडाई झगडे पर आमादा है। प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतू वैकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा मे मौजूद

(भीमू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के खाते पर 0.58 है. भुमि दर्ज है जिसमे 0.02 है. भुमि बंटवाडे से प्रार्थीगण के खाते मे रास्ते के लिए अधिक दी गई है और मुझ विपक्षी के पास वर्तमान खाते मे 0.56 हे. दर्ज रेकार्ड है जिससे प्रार्थीगण को रास्ते के लिए मुझ विपक्षी की आराजी का रकबा नही दिया जा सकता है विकल्प मे अगर प्रार्थीगण रास्ते के लिए आधी भुमि देने को तैयार हो तो आधी भुमि विपक्षी देने को तैयार है , जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित होने से तहसीलदार चित्तौडगढ से मौका रिपोर्ट तलब कि गई । तहसील चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2025/1118 दिनांक 09.07.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर सलंग्न पत्रावली है। मौका रिपोर्ट अनुसार :–

1. प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है।
2. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है। इसमें कृषि योग्य भूमि का क्षय नाममात्र है।
3. पक्षकारों को तलब किया गया। प्रतिवादी रास्ते के उपयोग हेतु मना नही कर रहा किन्तु राशि लेकर रास्ता नही देना चाहता है।
4. लघुतम रास्ता आराजी नं 70 के पास आराजी नं 85 की दूसरी मेंड पर 06 मीटर चौडा तथा 20 मीटर लम्बा रास्ता कुल 120 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। घटियावली डीएलसी दर 1707200 प्रति है. 1707200/10000 वर्गमीटर X 120 वर्गमीटर = 20487 X 2 दुगना = 40974 रूप्ये बनते है।
5. प्रतिवादी बीमार होने से पुत्र को मोबाईल से सूचना दी गई।

दौराने सुनवाई अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किया कि विपक्षी को सुचना दिये बिना तारीख 26.06.2025 को मौका रिपोर्ट एक तरफा मे बनाई गई है, जो मौके कि एंव रेकार्ड की स्थिति के विपरित बनाई है जबकि मौके पर विपक्षी की फसले खडी है । मौके पर विपक्षी की आराजी मे से होकर कोई रास्ता मौजूद नही है न दिलाया जा सकता है जिससे मौका रिपोर्ट गलत बनाई जाने से पुन : मौका रिपोर्ट विपक्षी को सुचना दी जाकर

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पक्षी की मौजूदगी मे बनवाई जाना न्यायोचित होने से यह आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया ।

उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब मे अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब पेश किया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यो पर आधारित है। विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रकरण मे देरी करने की नियत से पेश किया गया है। कमिश्नर रिपोर्ट से अलग अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक होने का ना तो कोई तथ्य अंकित है ना ही कोई प्रमाण पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारीज करने का अनुरोध किया।

पत्रावली नियत दिनांक को बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । अधिवक्ता विपक्षी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षी की उपस्थिति मे पुन मौका रिपोर्ट बनवाई जाने का निवेदन किया इसके विपरित अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यो पर आधारित होकर प्रकरण को अनवाश्यक लम्बित रखने की नियत से पेश किया है अत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया। विपक्षी द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र की जो मुख्य आपत्ति है कि विपक्षी को मौका रिपोर्ट बनाते समय सुचना नही दी गई है जबकि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन है कि पक्षकारो को तलब किया गया है ऐसी सूरत मे विपक्षी की यह कथन की सुचना नही दी निराधार प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दुसरी आपत्ति जो कि विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे उठाई गई है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहुचने हेतू वैकल्पिक रास्ता मौजूद है चूकि यहा यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे बिन्दू संख्या 01 मे स्पष्ट उल्लेखित है कि वैकिल्पक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। उपरोक्त तथ्यो से भलीभांति स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उठाई गई वैकल्पिक रास्ते से सम्बन्धित आपत्ति न्यायोचित न होकर हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने की मंशा से उक्त आपत्तियाँ उठाई गई क्योंकि सिर्फ जवाब मे कहने मात्र से कि वैकल्पिक रास्ता मौजदू है जो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्त नही है इतना ही नही न कोई वैकल्पिक मार्ग होने का कोई प्रमाण पेश किया हो। अत : उपरोक्त विवचेना से विपक्षी का आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

हस्तगत मामले मे योग्य निर्णय के आधार पर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट उचित एंव स्पष्ट होने से हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौडगढ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की मौजा घटियावली पटवार हल्का घटियावली की आराजी न 84 रकबा 0.58 हे. पर आने जाने हेतु निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित किया जाता है।

| क्रस. | नाम खातेदार | खसरा संख्या | रकबा | किस्म | प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई एंव चौडाई मीटर में | प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल | डी.एल. सी.दर प्रति हे. | दुगनी डी.एल.सी. दर प्रति एअर | राशि रूप्ये मे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गोवर्धन पिता घासी तेली नि. घटियावली | 85 | 0.56 हे. | नहरी 1 | 20 मीटर लम्बाई एवं 06 मीटर चौडाई | 120 वर्ग मीटर | 1,70,7200 | 1707200 / 10000 वर्गमीटर X 120 वर्गमीटर = 20487 X 2 | 40974 |

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 20 मीटर एंव चौडाई 06 मीटर होकर कुल क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर बनता है एंव दुगनी डी.एल.सी.दर से गुणा करने पर राशि 40974 रूप्ये अक्षरे चालीस हजार नौ सो चौहत्तर रूप्ये होती है।

रूप्ये का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को किए जाने पर मौजा घटियावली की आराजी संख्या 85 रकबा 0.56 हे. मे से 20 मीटर लम्बाई व 06 मीटर चौडाई कुल 120 वर्ग मीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एंव उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेष दिए जाते है। विपक्षी को 40974 /– रूप्ये अक्षरे चालीस हजार नौ सो चौहत्तर रूप्ये के भुगतान हेतु विपक्षी के नाम के ड्राफट बनाकर तहसीलदार चित्तौडगढ के मार्फत भुगतान किए जाने हेतु

Scanned with OKEN Scanner

...ता करे। उक्तानुसार ड्राफट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ सलंग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा ।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

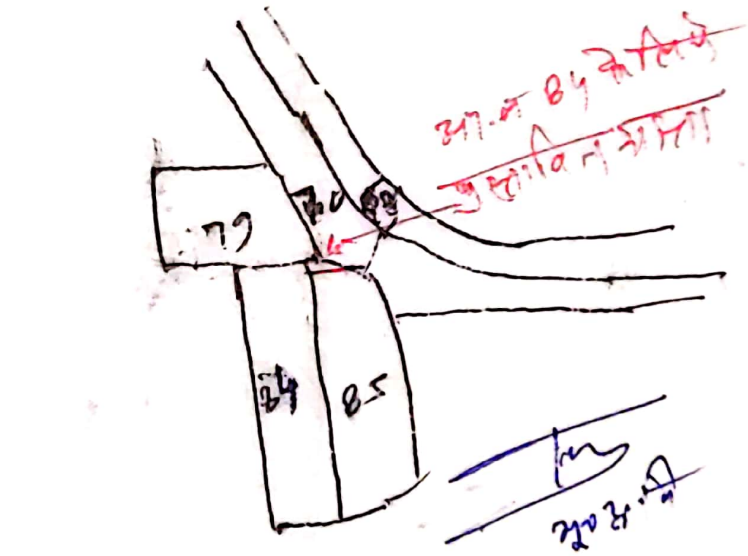

नक्शा हेतु मौजा घटियाफली
पैमाना - 1 सेमी = 4 मी




पटवारी घटियाफली